न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/ डिक्री/टी ए/3305/2003/अजमेर
अपील/ डिक्री/टी ए/3306/2003/अजमेर

1.श्योजी राम 2.रामप्रसाद 3. धन्ना लाल पुत्रान हीरा जाति माली निवासी ग्राम मनोहरपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

1.भूरा लाल 2. गोपाल पुत्रान लादू माली निवासी मनोहरपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड जिला अजमेर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित

श्री राजेश गौतम अभिभाषक अपीलार्थी
श्री नागेश कुमार शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 25.02.2020

1. यह दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20–3–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार समान हैं,वादग्रस्त आराजी समान है तथा विधिक बिन्दु भी समान है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया है इसलिये दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व2भूरा एवं गोपाल ने अपीलार्थी के पूर्वज हीरा व अन्य के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88,188 व 53 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी रकबा 33बीघा 8विस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को आधे आधे हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार केकडी ने वादीगण एवं प्रतिवाद संख्या 1 के मध्य 33 बीघा 8विस्वा भूमि को बराबर हिस्से से विभाजित कर विभाजन के अन्तिम प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये हैं। जिसके अनुसार अन्तिम डिक्री आदेश जारी हुये हैं। इस प्रकार प्राथमिक डिक्री दिनांक 17-3-98 एवं अन्तिम डिक्री आदेश दिनांक 25-5-2000 एवं संशोधित आदेश दिनांक 4-10-2001 के विरूद्ध दो अपीलें प्रतिवादी हीरा के वारिसान द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-3-2003 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 17-3-98 एवं उसकी पालना में पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 25-5-2000 एवं उसके बाद संशोंधित आदेश को निरस्त कर दिया। वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित खतौनी संख्या 71 के आराजी संख्या 1076,

1080/1, 1370, 1398, 1402,1435,1432 एवं 1437 कुल किता 9 रकबा 33 बीघा 8विस्वा में वादी भूरा एवं गोपाल को1/4हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं शेष 3/4 हिस्सा अपीलार्थी प्रतिवादी हीरा के वारिसों की मानी। इसी प्रकार वाद के पैरा संख्या 2,3 एवं 4 में वर्णित खसरा नम्बर 1400,1057,1081 एवं 1437 में घीसा का हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मृतक हीरा के वारिसान के मध्य बराबर हिस्से से दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। यह चारों आराजीयात गैर मुमकिन पाल एवं कुओं के रूप में है जिनका विभाजन नहीं हो सकता है। अतः श्री घीसा का हिस्सा दोनों पक्षों के मध्य बराबर हिस्से से दर्ज किया जावे शेष रकबा 33बीघा 8विस्वा भूमि के विभाजन के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार केकडी से प्राप्त कर अन्तिम डिक्री आदेश पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह दो अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पिता हीरा,प्रत्यर्थीगण के पिता लादू अपने जीवनकाल में ही अपना हिस्सा लेकर उसके पिता किशना से अलग हो गया था एवं उसके पश्चात शेष बची आराजी खसरा नम्बर 1400,1057,1081,1437 पर घीसा एवं अपीलार्थी के पिता हीरा संयुक्त रूप से खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे थे। तत्पश्चात घीसा की मृत्यु होने पर उसकी पगडी हीरा के बंधी थी इस कारण घीसा के हिस्से की भूमि के हकदार अपीलार्थी हैं किन्तु अपीलीय न्यायालय ने घीसा के हिस्से की भूमि का दोनों पक्षों के मध्य बराबर बराबर हिस्सा देने का निर्णय प्रदान करने में विधिक भूल की है। घीसा दिनांक 21-9-86 कों ला औलाद फौत हो गया एवं उसकी औरत

उसके जीवनकाल में ही नाते चली गई तथा घीसा अपने देहान्त तक अपीलार्थी के पिता हीरा के साथ रहा एवं हीरा ने ही उसके देहान्त के बाद रस्म रिवाज पूरी करके उसकी पगडी हीरा के बंधी। इस प्रकार घीसा का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी अपीलार्थी का पिता था। अपीलार्थी का पिता हीरा प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त 12–3–97 को हो गया था जिसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई एवं मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो नलिटी है। फिर भी अपील न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित कर दिया। इसलिये अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–3–2003 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश प्रदान किये जावें।

6. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि हीरा की मृत्यु की जानकारी विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण को नहीं थी और न ही प्रतिवादी के अभिभाषक ने न्यायालय को इसकी जानकारी दी। इसके अभाव में यह डिक्री आदेश मृतक के विरूद्ध पारित होना नहीं माना जा सकता। अपने कथन के समर्थन में आर आर टी 2019(2)पेज1551 की नजीर पेश की। विवादित भूमि में उनका केवल 1/4 हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने 33 बीघा 8विस्वा में से आधा हिस्सा उनके नाम घोषित करने में गलती की है वे केवल 8बीघा 7विस्वा के ही हकदार हैं एवं इतनी भूमि के लिये ही उन्होंने विचारण न्यायालय में अनुतोष पाने के लिये राजस्व वाद प्रस्तुत किया था। अपीलीय न्यायालय ने सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश को संशोधित कर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिये दोनों अपीलें खारिज योग्य हैं।

7. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हीरा की मृत्यु की जानकारी विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण को रही हो,ऐसा कोई प्रमाण हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादी के अभिभाषक ने न्यायालय को इसकी जानकारी दी है इसके अभाव में यह डिक्री आदेश मृतक के विरूद्ध पारित होना नहीं माना जा सकता जैसा कि आर आर टी 2019(2)पेज 1551 में मण्डल की खण्ड पीठ ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि घीसा की मृत्यु होने पर उसकी पगडी हीरा के बंधी थी इस कारण घीसा के हिस्से की भूमि के हकदार अपीलार्थी हैं,हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे घीसा के हिस्से की भूमि का अपीलार्थी को हकदार माना जा सके। मात्र पगडी बंधने से अथवा रस्म रिवाज पूरा करने से घीसा के हिस्से की आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता हीरा को अकेले खातेदारी अधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य